पत्रांक- अ0स0क0 05-12/2014.....295./

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) के अन्तर्गत किशनगंज को शिक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत 07 इकाई प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि ₹ 50.05 (पच्चास लाख पाँच सौ) मात्र की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 86वीं प्राधिकृत समिति की बैठक में किशनगंज में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, एवं स्वीकृत्यादेश संख्या 3/5(2)/2013-पी.पी. दिनांक 07-8-2014 द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में किशनगंज के लिए स्वीकृत 07 इकाई प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण ₹ 50.05 (पच्चास लाख पाँच सौ) मात्र केन्द्रांश के रूप में स्तंभ 8 के अनुरूप प्रथम किस्त हेतु विमुक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

जिला का नाम	परियोजना का नाम	इकाई की संख्या	इकाई लागत	भारत सरकार से स्वीकृत कुल राशि	निर्धारित केन्द्रांश की राशि	निर्धारित राज्यांश की राशि	केन्द्रांश के प्रथम किस्त के रूप में व्यय हेतु स्वीकृति एवं आवंटन की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
किशनगंज	Construction of Primary School	07	22.00	154.00	100.10	53.90	50.05
	Total	**07**		**154.00**	**100.10**	**53.90**	**50.05**

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय मुख्यशीर्ष 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051- निर्माण, मांग संख्या 30, उपशीर्ष 0207-अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड- P 4250000510207, विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपबंधित राशि से केन्द्रांश मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार अकास्मिकता निधि से प्राप्त होने वाली राशि से की जायेगी ।

3. स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार अकास्मिकता निधि से प्राप्त होने वाली राशि से की जायेगी । जिसके लिये राशि प्राप्त होने पर आवटंनादेश निर्गत किया जायेगा ।

4. उक्त राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में विपत्र तैयार कर की जाएगी । तत्पश्चात कार्यकारी एजेंसी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना एवं विकास निगम लि0, पटना के पी0एल0 खाता संख्या 237 में अन्तरित करेंगे । विपत्र के साथ तीन प्रतियों में बी0टी0सी0 फॉर्म-4 चालान संलग्न किया जाएगा ।

5. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि0 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नही है ।

6. इस योजना अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989 वि0 (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में आपेक्षित होगा ।

7. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में किया जाना है एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजा जायेगा ।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-295 पटना, दिनांक 10/8/15

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा-शाखा (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-295 पटना, दिनांक 10/8/15

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 295 पटना, दिनांक 10/8/15

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना एवं विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 295 पटना, दिनांक 10/8/15

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, किशनगंज / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 295 पटना, दिनांक 10/8/15

प्रतिलिपि :-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 295 पटना, दिनांक 10/8/15

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :- अवर सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वी मंजिल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 295 पटना, दिनांक -10/8/15

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए ।

सरकार के प्रधान सचिव